GOVERNMENT OF INDIA/**Bharat Sarkar**
MINISTRY OF RAILWAYS/**Rail Mantralaya**
Railway Board

R.B.E.NO: 149 /2014.

No. E(G)2008 QR1-9. **New Delhi, Dated: 30.12.14.**

The General Managers,
All Indian Railways/PUs and others.

Sub: Retention of Railway quarter at the previous place of posting by Railway employees posted to Northeast Frontier Railway.

Ref: Board's letter No.E(G)2005 QR1-3 dated 12.09.05, E(G)2008 QR-1-9 dated 01.10.08, 11.08.09 & 20.09.11.

Instructions governing retention of Railway accommodation in favour of Railway employees transferred and posted to N.F. Railway have been issued from time to time. The existing orders on the subject are valid up to 30.06.2014. The question of further extension of these orders beyond 30.06.2014 has been considered and it has now been decided with the approval of Competent Authority to extend these orders for a further period of one year i.e. up to 30.06.2015 or till revised orders on the subject are issued, whichever is earlier.

Since the retention of quarter at the previous place of posting in favour of the officers who have been transferred and posted to N.F.Railway is allowed for bonafide use of the dependent family of transferred Railway servant, he/she will furnish certificate on 1st July and 1st January of every year, stating that his/her dependent family members are actually residing in the Railway quarter at the last station of his/her posting. Such a certificate will also have to be furnished at the time of seeking retention.

In case no such certificate is received by 31st January and 31st July every year, the quarter controlling authority will be constrained to cancel the allotment of the quarter in question.

The request for retention of entitled type of accommodation should be received within a period of one month from the date of relinquishing the charge at the last station of posting, so that further necessary action will be initiated by the quarter controlling authority in time.

This issues with the concurrence of Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Please acknowledge receipt.

(S.K. Panda)
Dy.Dir.Estt.(Genl.)

No.E(G)2008 QR-1-9 New Delhi, Dated: 30 .12.2014

1. FA & CAO, All Indian Railways and Production Units.
2. Joint Director (Finance), RDSO, Lucknow.
3. Deputy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No:224, Rail Bhawan, New Delhi.(with 46 spares).

FOR FINANCIAL COMMISSIONER/RAILWAYS.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं. 141/2014.

सं. ई(जी)2008 क्यूआर1-9

नई दिल्ली, दिनांक 30 .12.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां एवं अन्य

विषय: पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में तैनात रेलकर्मियों द्वारा पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर अपने पास रखना।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 12.09.05 का पत्र सं. ई(जी)2005 क्यूआर1-3, दिनांक 01.10.08,11.08.09 और 20.09.11 का पत्र सं. ई(जी)2008 क्यूआर-1-9.

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्थानांतरित एवं तैनात रेल कर्मचारियों के पास रेलवे आवास रखने से संबंधित अनुदेश समय-समय पर जारी किए गए हैं। इस विषय पर मौजूदा आदेश 30.06.2014 तक वैध हैं। इन आदेशों को 30.06.2014 से आगे बढ़ाने पर विचार किया गया है और अब सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से इन आदेशों को एक और वर्ष और अर्थात् 30.06.2015 तक या इस विषय पर संशोधित आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का विनिश्चय किया गया है।

चूँकि उन अधिकारियों जिन्हें पूर्वोत्तर सीमा रेलवे में स्थानांतरित एवं तैनात किया गया है, के पास पिछली तैनाती के स्थान पर क्वार्टर रखने की अनुमति स्थानांतरित रेल सेवक के आश्रित परिवार के वास्तविक उपयोग के लिए दी जाती है, अत: उन्हें प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई और 1 जनवरी को यह प्रमाणपत्र देना होगा कि उनकी पिछली तैनाती के स्थान पर रेलवे क्वार्टर में वास्तव में उसके आश्रित परिवार के सदस्य रह रहे हैं। इस प्रकार का प्रमाणपत्र आवास अपने पास रखने की अवधि बढ़ाने की मांग करते समय भी देना होगा।

यदि प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई तक इस प्रकार का कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं होता है तो क्वार्टर नियंत्रक प्राधिकारी क्वार्टर आबंटन रद्द करने के लिए बाध्य होगा।

पात्र आवास को अपने पास रखने का अनुरोध पिछली तैनाती के स्थान पर कार्यभार छोड़ने की तारीख से एक माह की अवधि के भीतर प्राप्त होना चाहिए ताकि क्वार्टर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा यथा समय आवश्यक कार्रवाई शुरू की जा सके।

इसे रेल मंत्रलय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

कृपया पावती दें।

(एस. के. पांडा)
उप निदेशक, स्थापना (सामान्य)